कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० मथुरा

P-112
23-24

पंजीकृत

आवेदन - 1008327233

पत्रांक 5816 /वि०वि०ख०(प्र.) म. /

दिनांक 16/10/2023

विषय : विद्युत संयोजन लेने हेतु नियम व शर्तें

श्री/श्रीमती सोनम चौधरी w/o श्री दलवीर सिंह
ग्राम - परसौनी, बल्देव
मथुरा

वर्तमान स्वीकृत भार 10 HP अ.श. / कि.वा. / के.वी.ए.
अतिरिक्त भार .... अ.श. / कि.वा. / के.वी.ए.
कुल भार 10 HP अ.श. / कि.वा. / के.वी.ए.

विद्युत भार स्वीकृत संख्या 5423 / वि.वि.ख.(प्र.) आ. दिनांक 26/09/023

हा.पा. / कि.वा. / के.वी.ए. .... संयोजन सं० ....

पी.एफ. 100/- / रसीद सं० P53798823 दि 26/09/023 विधा LMV-5

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विद्युत भार की अवमुक्ति हेतु एल प्रणाली/11 के.वी.ए. प्रणाली के तहत आपको निम्नलिखित शर्तें/औपचारिकतायें पूर्ण करना आवश्यक है एवं निम्न विवरणानुसार धनराशि जमा करनी होगी - यदि समय समय पर नियमानुसार मूल्य वृद्धि होती है तो विभागीय लागू नियमों के अन्तर्गत देय धनराशि का अन्तर आपको देना होगा व नियमों का पालन भी करना होगा। साथ ही उपरोक्त प्राक्कलन की वैधता 03 माह है। अगर जमा करने से पूर्व कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी सामग्री की दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. सर्विस कनेक्शन व्यय :

(1)	स्थायी व्यय (फिक्सड चार्जेज)	रु0 4957=00
(2)	सर्विस कनेक्शन चार्ज (L.T. लाइन)	रु0 18517=00
(3)	अन्य चार्जेज (यदि हों) / 15% सुपरवीजन चार्ज	रु0
(4)	सिस्टम लोडिंग चार्जेज @ .... रु.	रु0
	प्रति KW/KVA की दर से .... के.वी.ए.	रु0
(5)	जमानत धनराशि 300/- प्रति HP/KW/KVA	रु0 3000=00
	कुल योग	रु0 26474=00

रुपये शब्दों में कुल योग छब्बीस हजार चार सौ चौहत्तर रुपये मात्र

घटायें - पूर्व में जमा की गई निम्नलिखित प्रतिभूति धनराशि (मूल प्रति दिखाने पर ही कम की जायेगी)

जमा की गई धनराशि का विवरण

(1) रसीद संख्या .... दिनांक .... रुपये ....

(2) रसीद संख्या .... दिनांक .... रुपये ....

Scanned with OKEN Scanner

नियम व शर्तें :

प्राक्कलन की धनराशि जमा करने एवं उपभोक्ता को निम्न प्रपत्र/औपचारिकतायें पूर्ण करना आवश्यक

1. परिसर से सम्बन्धित भूस्वामित्व के प्रपत्रों (जैसे रजिस्ट्री, बैनामा या पावर ऑफ एटार्नी) की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत होगी। यदि आवेदक किरायेदार है तो किराये की रसीद, किरायानामा एवं मकान परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र के फोटो सहित प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. फैक्टरी का ले–आर्डर प्लान जिसमें कार्यालय एवं मीटर कक्ष आदि का सम्पूर्ण विवरण दिया हो, प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रस्तावित इकाई को चलाने हेतु जिला उद्योग केन्द्र का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. प्रस्तावित विधा को चलाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. रिहायशी क्षेत्र में औद्योगिक संयोजन लेने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि संयोजन किसी फर्म के नाम स्वीकृत है तो उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त फर्म के सक्षम अधिकारी पार्टनर द्वारा अनुबन्ध हेतु पावर ऑफ एटार्नी तथा फर्म की नियमावली (Memorandum & Article of Association) प्रस्तुत करनी होगी।
7. प्राक्कलन की धनराशि किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक जमा की जा सकती है।
8. प्राक्कलन की धनराशि टी.सी. जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका विद्युत भार निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. यदि आपके परिसर में पहले से कोई विद्युत संयोजन लगा हुआ है अथवा परिसर पर विद्युत विभाग की कोई बकाया धनराशि है तो नया संयोजन नहीं दिया जायेगा।
10. अनुबन्ध हेतु रुपये 100/– के नाम जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्रमाणित फोटो चस्पा करके लाना होगा एवं दो गवाह जो आपको भलीभांति परिचित हों तथा मथुरा जनपद के मूल निवासी हों, अपने साथ लाने होंगे।
11. परिसर में स्थापित किये गये मोटरों का समस्त विवरण मय मोटर क्रमांक मेक आर.पी.एम. एम्पीयर आदि विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. 400 वोल्ट एवं उससे अधिक विभव के वी. एण्ड एल. फार्म अलग–अलग प्रस्तुत करने होंगे तथा स्थापित किये गये सभी उपकरण ISI मार्क होने चाहिये
13. उपभोक्ता द्वारा लगाये गये सभी संयंत्रों जैसे सी.टी., पी.टी. ट्रांसफार्मर्स एवं अन्य उपकरणों की टैस्टिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
14. 400 वोल्ट से अधिक विभव के विद्युत अवमुक्त करने से पूर्व निदेशालय, विद्युत सुरक्षा, लखनऊ का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं स्वीकृत ड्राइंग प्रस्तुत करना आवश्यक है।
15. विद्युत निरीक्षक, मथुरा के पक्ष में देय शुल्क का ट्रेजरी चालान जमा करना होगा।
16. यदि 2 माह के लगातार बिलों की धनराशि जमानत धनराशि से अधिक है तो अतिरिक्त जमानत धनराशि जमा करनी होगी।
17. विद्युत आपूर्ति निगम में लागू रेट शिड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
18. आपको अग्निशमन यंत्र भी नियमानुसार लगाने होंगे
19. निगम द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त (रिलीज) किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक......................../वि०वि०ख०(प्र.) म./

दिनांक......................

प्रतिलिपि :

1. मुख्य रोकड़िया को इस आशय के साथ प्रेषित है कि भुगतान की सूचना अनुबन्ध लिपिक को देने का कष्ट करें।
2. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड प्र./द्वि./तृ., मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner